'ऊन, दूध, पशु आहार व अन्य उत्पादों की जांच के लिए हाईटैक लैब की आवश्यकता'

- पशुधन आधारित उद्यम परिदृश्य और संभावना पर वैज्ञानिक - उद्योग सम्पर्क बैठक आयोजित
- वेटरनरी महाविद्यालय में भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला जल्दी शुरू होने की बात भी साझा की

बीकानेर, (कासं)। वेटरनरी विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय और बीकानेर जिला उद्योग संघ के संयुक्त तत्वावधान में 'बीकानेर में पशुधन आधारित उद्यमः परिदृश्य और संभावनाएं ' पर परिचर्चा हेतु वैज्ञानिक-उद्योग संपर्क बैठक का आयोजन गुरूवार को कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित की अध्यक्षता में किया गया।

कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने समन्वित दृष्टिकोण को अपनाते हुए उद्यमियों, विश्वविद्यालयों एवं सरकार को नीति निर्धारण कर कार्य करने की बात कही। कुलपति आचार्य दीक्षित ने कहा कि सभी उद्योग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे से जुडे होते है। जिससे हम आने वाली समस्याओं को सम्मिलित प्रयासों से दूर कर सकते है।

कुलपति ने कहा कि पी.पी.पी. मोड़ पर ऊन, दूध, पशु आहार व अन्य उत्पादों की जांच के लिए हाईटैक लैब की स्थापना की आवश्यकता है ताकि उद्यमियों को इनकी जांच में लगने वाले खर्च व समय बच सके। कुलपति ने वेटरनरी महाविद्यालय में भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला जल्दी शुरू होने की बात भी साझा की। विद्यार्थियों में उद्यमिता विकास हेतु इन्क्यूबेशन सेंटर विकसित करने तथा भविष्य के दृष्टिकोण को रखते हुए वर्चुअल प्रयोगशाला एवं रोबोटिक ऑपरेशन थियेटर विकसित करने का सुझाव दिया।

बैठक में डी.पी. पचीसिया, अध्यक्ष जिला उद्योग संघ ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि बीकानेर जिला राज्य का बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। यहां से दुग्ध, ऊन, मोठ, मूंगफली, ग्वार, दालों आदि का बड़ा व्यापार होता है। लेकिन शहर में कोई मेगा फूड पार्क विकसित नहीं है ना ही मान्यता प्राप्त फूड टेस्टिंग प्रयोगशाला है। जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता निर्धारित हो सके।

बीकानेर शहर में मेगा फूड पार्क एवं फूड टेस्टिंग प्रयोगशाला स्थापित हो जाने से व्यापार जगत को गति मिलेगी। अशोक मोदी, महाप्रबंधक लोट्स डेयरी, बीकानेर ने सदन में विचार रखते हुए कहा कि बीकानेर पशुपालन आधारित जिला है जहां कृषि एवं दुग्ध व्यवसाय परम्परागत है। दुग्ध की मांग लगातार बढ़ रही है लेकिन मांग आपूर्ति के साथ-साथ गुणवत्ता निर्धारण बहुत आवश्यक है। अशोक मोदी ने शहर में उच्च मानक की दुग्ध टेस्टिंग लैब स्थापित करने की जरूरत महसूस की ताकि दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्यात संभव हो सके।

इसके अतिरिक्त उन्होंने पशु चारा गुणवत्ता निर्धारण, चारागाह विकास एवं दुग्ध व्यवसाय के आधुनिकरण, कृत्रिम गर्भाधान हेतु सेक्स सोर्टड सीमन के उपयोग को बढावा देने एवं इस व्यवसाय के प्रोत्साहन हेतु सरकारी सहयोग की बात साझा की। ऊन इंडस्ट्री से कमल कल्ला, संजय राठी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मण्डी गिनी जाती है लेकिन भेड़ों की संख्या कम होने, चारागाह घटने एवं उत्तम ऊन टेस्टिंग एवं संसाधनों की कमी से आज ऊन का आयात भी करना पड़ रहा है।

राजस्थान से उत्तम गलीचा ऊन का उत्पादन होता है लेकिन यहां सर्टिफिकेशन के अभाव में निर्यात में बाधा आती है एवं उत्पादों का पूर्ण मूल्य नहीं मिल पाता है। जिला उद्योग संघ के वीरेन्द्र किराडू ने पशुपालकों को ऊन उत्पादन प्रशिक्षण हेतु ब्रीज कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया। निदेशक प्रसार शिक्षा प्रो. राजेश कुमार धूड़िया ने विषय प्रवर्तन करते हुए बताया कि बैठक में डेयरी, भेड़, बकरी एवं मुर्गी पालन के बहुउपयोगी सेक्टर में क्षमता संवर्द्धन कर उद्यमिता विकास के कार्यों पर भी इस बैठक में विचार-विमर्श किया गया ताकि युवा एवं पशुपालक इस क्षेत्र में स्वरोजगार की ओर अग्रेषित हो सके। सदन में डॉ. आर. के. सांवल, डॉ. बिट्ठल बिस्सा, डॉ. चन्द्रशेखर श्रीमाली, विजय खत्री, डॉ. राहुल, मोहन सिंह ने अपने सुझाव दिए।

प्रवेश के लिए प्रमाण-पत्र जांच प्रक्रिया जारी

बीकानेर, (कासं)। वेटरनरी विश्वविद्यालय के संघटक एवं सम्बद्ध वेटरनरी कॉलेजों में उपलब्ध सीटों पर बी.वी.एस.सी. एण्ड ए.एच. डिग्री पाठ्यक्रम (सत्र 2024-25) में प्रवेश आवंटन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग कर अलग-अलग महाविद्यालयों में सीट आवंटन के बाद प्रमाण-पत्र सत्यापन कर शुल्क जमा करवाने व्यक्तिगत रूप से बीकानेर वेटरनरी कॉलेज में बुलाया।

बी.वी.एस.सी. एण्ड ए.एच. सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के तीन सरकारी महाविद्यालयों वेटरनरी कॉलेज, बीकानेर, वेटरनरी कॉलेज, नवानिया उदयपुर एवं पी.जी.आई.वी.ई.आर. जयपुर के साथ-साथ सम्बद्ध प्राइवेट वेटरनरी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थीयों को उनके नीट (यू.जी.) 2024 की मेरिट, ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फार्म में चुने महाविद्यालयों की प्राथमिकता एवं आरक्षित कोटे के आधार गुरूवार को प्रमाण-पत्र जांच एवं फीस जमा करवाने की प्रक्रिया की गई। शेष रिक्त रही सीटों का प्रवेश आवंटन हेतु प्रमाण-पत्र सत्यापन एवं शुल्क जमा करवाने की प्रक्रिया 14 अक्टूबर को आयोजित की जायेगी।

नवकार मंत्र का घर-घर जाप

बीकानेर, (कासं)। नवकार मंत्र जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। इसे णमोकार मंत्र, नमस्कार मंत्र या पंच परमेष्ठि नमस्कार भी कहा जाता है। इस मंत्र में अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को नमस्कार किया गया है।

जैनाचार्यों के अनुसार इस मंत्र को पूर्ण श्रद्धा के साथ जपने से यह बहुत ही फलदायक होता है। इसी नवकार मंत्र का 5 करोड़ का जाप महाअनुष्ठान शहर में 29 जुलाई से चल रहा है। इसकी पूर्णाहुति 17 अक्टूबर को होगी। मंत्र जाप अनुष्ठान के तहत जैन समाज के सभी संघों के घर-घर में नवकार मंत्र की गूंज है। श्रावक-श्राविकाएं और बच्चे सुबह से शाम तक इस महामंत्र का जाप कर रहे हैं।

श्री जिनेश्वर युवक परिषद के अध्यक्ष संदीप मुसरफ के अनुसार नवकार जाप सपूर्ण पदों का 68 अक्षर व 9 पद का है। पांच करोड़ नवकार मंत्र जाप में श्रावक-श्राविकाएं नवकार का जाप सपूर्ण 9 पद का कर रहे हैं। इसके लिए जैनाचार्य जिन पीयूष सागर सूरिश्वर के सानिध्य में श्रावक-श्राविकाओं को अभिमंत्रित माला, आसन, कार्ड व मंत्र जाप अनुष्ठान के लिए किट उपलब्ध करवाई गई। बीकानेर में पांच करोड़ नवकार मंत्र जाप का आयोजन चल रहा है।

डॉ. सुनीता पारीक को परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार : वेटरनरी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक (सी.ओ.ई.) पद का अतिरिक्त प्रभार डॉ. सुनीता पारीक को सौंपा गया है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। डॉ. पारीक वर्तमान में वेटरनरी कॉलेज बीकानेर के पशु शरीर क्रिया विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल रही है।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2024/3956 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 10.10.2024

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 16 में माप 20 इन्टू 65 फीट, श्रीगंगानगर का पटटा संख्या 3648 दिनांक 25.06.2005 को श्री धनराज पुत्र श्री छेलूराम के नाम से जारी किया हुआ है। श्री गौरीशंकर पुत्र श्री देवीलाल निवासी 18 जीजी गोविन्दपुरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 11.09.2024 की प्रति प्रस्तुत कर स्वामित्व के दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पटटे का समर्पण कर लीज होल्ड से फ्री होल्ड पटटा जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम) कॉरपोरेट कार्यालय, 04, मीरा मार्ग, उदयपुर- 313001(राज.)

फोन नम्बरः (0294)2428738/2428744 फेक्सः (0294)2428770

निविदा आमंत्रित करने की सूचना दिनांक :- 10/10/2024

ई-निविदा संख्या एवं दिनांक	कार्य का विवरण
NIT No. RSMM/CO/Project/Solar Power/2024-25/295 UBN No. MML2425WSOB00133	राजस्थान के बीकानेर जिले के गजनेर में आरएसएमएमएल द्वारा स्थापित 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का तृतीय पक्ष निरीक्षण धरोहर राशि रूपये 10000/- हजार, निविदा दस्तावेज की लागतः-रूपये 590/- नकद/डीडी द्वारा आरएसएमएमएल के पक्ष में उदयपुर पर देय हो। निविदा डाउनलोड की अवधि दिनांक 09.10.2024 से दिनांक 18.10.2024 अपरान्ह 1.00 बजे तक। प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः-18.10.2024 अपरान्ह 3.00 बजे तक।

उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.rsmm.com /www.sppp.rajasthan.gov.in/ www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा वरिष्ठ प्रबंधक (प्रोजेक्ट) से उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें।

राज.संवाद/सी/24/6428 उप महाप्रबन्धक (का.एवं प्रशा.)

12 लाख के जेवर व नकदी चोरी, एक सप्ताह में दूसरी वारदात

- एक सप्ताह में नयाशहर थाना इलाके में दो बड़ी चोरी की वारदात

बीकानेर, (कासं)। जिले में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती ही जा रही है। अज्ञात चोर घरों, मंदिरों, दुकानों में सेंधमारी कर रहे है। पिछले एक सप्ताह में नयाशहर थाना इलाके में दो बड़ी चोरी की वारदातें सामने आई है।

हालात यह है कि पुलिस इसको लेकर लाचार सी नजर आने लगी है। एक ओर तो जिला पुलिस अधीक्षक बेहतर पुलिसिंग का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चोर पुलिस के लिये चुनौती बनते जा रहे हैं। ताजा मामला नयाशहर के जवाहर नगर का है। जहां चोर 12 लाख रूपये के सोने-चांदी के आभूषण व दो लाख की नकदी ले उड़े। सूचना के बाद मौके पर थानाधिकारी विक्रम तिवाड़ी मय जाब्ता पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया।

वहीं सीसीटीवी खंगाल रहे है। मकान मालिक रविन्द्र आचार्य ने बताया कि रात को वे अपने भाई के घर पर सुंदर कांड के पाठ करने क रीब 8 बजे गए थे। 11 बजे के करीब उनकी बेटी घर पर आई तो घर का ताला खुला हुआ था। उसे लगा कि मां दरवाजा खुला छोड़ गई। थोड़ी देर बाद जब रविन्द्र और उनकी पत्नी उमा आई तो अपने पहने हुए जेवर खोलकर अलमारी में रखने लगी तो पता चला कि सब कुछ गायब है।

चोर ने करीब 12 लाख रूपए के सोने के जेवर चोरी कर लिए। इसके अलावा 2 लाख रूपए से ज्यादा की नगदी भी साथ ले गया। 500 रूपए की कुछ गड्डियां रखी हुई थी। यहीं पर 5 रूपए की एक गड्डी भी पड़ी थी, जो चोर नहीं ले गया। सुबह थानाधिकारी के साथ ही सीओ सिटी श्रवण दास मौके पर पहुंचे। सीओ सिटी ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिसमें संदिग्ध लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि चोर किस रास्ते से आया ताकि अभय कमांड के कैमरों में उसकी झलक देखी जा सके।

कॉलोनी वासियों के अनुसार जिस घर में चोरी हुई है, वो नयाशहर थाने के पास ही है। थाने से महज आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित इस क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त भी नहीं हो रही है। एम. एम. ग्राउंड के ठीक पीछे लड़के देर रात तक बैठे रहते हैं, जिसके बारे में पहले भी पुलिस को शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

किशोरी मेला आयोजित

श्रीगंगानगर, (कासं)। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर समग्र शिक्षा श्रीगंगानगर एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय किशोरी मेले का आयोजन गुरूवार को जगदम्बा अंधविद्यालय के हॉल में किया गया।

मुख्य अतिथि के रूप में सभापति नगरपरिषद गगनदीप कौर, विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विजय कुमार एवं उद्यान विभाग की उपनिदेशक प्रीति गर्ग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीपीसी समग्र शिक्षा अरविन्द्र सिंह द्वारा की गई।

अतिथियों द्वारा सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए गंगानगर एवं अनूपगढ़ जिले की अकादमिक एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 100 बालिकाओं तथा 25 महिला अध्यापिकाओं को सम्मानित किया गया।

लक्ष्मीनाथ मंदिर में ताले में बंद रहती है देवी मां

बीकानेर, (कासं)। राव बीका ने 537 वर्ष पहले बीकानेर शहर की स्थापना की थी। वर्तमान में जहां नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर है। यह बीकानेर शहर का पहला गढ़ था। इसी स्थान पर नगर संस्थापक राव बीका व उनके बाद के कई राजाओं ने बैठकर शासन चलाया। इसी परिसर में स्थित है राठौड़ों की कुल देवी नागणेचीजी का प्राचीन मंदिर है।

राव बीका ने गढ़ स्थापना के साथ अपनी कुल देवी नागणेचीजी तथा चामुण्डा माता मंदिर की स्थापना की थी। यह प्राचीन मंदिर न केवल अपनी प्राचीनता और ऐतिहासिकता के लिए बल्कि ताले में बंद रहने वाली नागणेचीजी देवी प्रतिमा के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में सालभर दर्शन-पूजन के साथ नवरात्रा में विशेष पूजन, अनुष्ठानों का क्रम चलता रहता है। देवी प्रतिमा के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और श्रद्धा भाव है।

मंदिर पुजारी श्याम सुंदर व रामरतन देरासरी बताते हैं कि देवी प्रतिमा के पूजन, आरती और भोग अर्पित करने के दौरान ही गर्भगृह का ताला खोला जाता है। गर्भगृह के द्वार पर जाली का गेट लगा है। श्रद्धालु इसी जाली से देवी प्रतिमा का दर्शन करते हैं। गर्भगृह में केवल पुजारी ही प्रवेश करते हैं। श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित है। मंदिर पुजारी के अनुसार रियासतकाल से यह परंपरा चल रही है। संभव है उस दौर में सुरक्षा की दृष्टि से यह व्यवस्था प्रारंभ की हो। देश की आजादी के बाद से अब तक यह व्यवस्था चल रही है। मंदिर में स्थापित मां नागणेची की प्रतिमा चांदी से बनी हुई है। देवी के हाथों में शंख, चक्र, गदा, भाला, तलवार, पाश सहित अनेक शस्त्र हैं। प्रतिमा के दोनों तरफ देवी के वाहन सिंह भी विराजमान हैं। तीन वर्ष पहले मंदिर में संगमरमर से निर्मित एक और प्रतिमा स्थापित की गई।

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSINGBOARD
(राज.आवा.मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)
वृत-बीकानेर, **Circle-Bikaner**
क्रमांकः-उआआ/आरएचबी/बीका/2024-25/583 दिनांक :- 19/9/2024

आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की नीलामी योजना 2005 में श्री रमेश कुमार मोगा पुत्र श्री सोहनलाल मोगा ने व्यावसायिक भूखण्ड में आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया था। आवंटी को व्यावसायिक भूखण्ड सं.3/29 पवनपुरी, बीकानेर का कुल क्षेत्रफल 13.50 वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 2365 दिनांक 30.03.2005 को जारी किया गया था। उक्त व्यावसायिक भूखण्ड मूल आवंटी के नाम उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर में पंजीकृत नही हैं। तत्पश्चात श्री रमेश कुमार मोगा की मृत्यु दिनांक 07.03.2009 हो जाने कारण उनकी धर्मपत्नि श्रीमति रजनी मोगा ने मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अण्डर टेंकिंग, क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार के घोषणा पत्र, समस्त पंजीयन प्रपत्रों की छायाप्रति एवम् निर्धारित शूल्क जमा करा दिया। उक्त व्यावसायिक भूखण्ड श्रीमति रजनी मोगा पत्नि स्व.श्री रमेश कुमार मोगा के नाम इस कार्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 651 दिनांक 17.07.2014 के किया गया। उक्त व्यावसायिक भूखण्ड श्रीमति रजनी मोगा पत्नि स्व.श्री रमेश कुमार मोगा के नाम उपपंजीयन कार्यालय बीकानेर में दिनांक 20.03.2015 से पंजीकृत हैं।

तत्पश्चात श्रीमति रजनी मोगा पत्नि स्व.श्री रमेश कुमार मोगा ने उक्त व्यावसायिक भूखण्ड का बैचान बैयनामा के माध्यम से श्री महेश कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल दुआ को किया गया। उक्त बैयनामा उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर में दिनांक 31.07.2017 से पंजीकृत हैं। तत्पश्चात श्री महेश कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल दुआ ने उक्त व्यावसायिक भूखण्ड का बैचान विक्रय विलेख उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर में दिनांक 12.07.2024 से पंजीकृत हैं।

श्री संजय कुमार सोनी पुत्र श्री देवकिशन सोनी ने समस्त पंजीयन प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति ,निर्धारित शुल्क की रसीद जमा करवाकर मण्डल रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। श्री संजय कुमार सोनी पुत्र श्री देवकिशन सोनी का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यावाही विचाराधिन है। यदि किसी व्यक्ति/हितकारी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 10 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड मे नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री संजय कुमार सोनी पुत्र श्री देवकिशन सोनी का ना मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। यदि उक्त व्यावसायिक भूखण्ड में उनके वारिसों एवम् अन्य कोई भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय/पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद पाया गया तो आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

सहायक आवासन अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त बीकानेर

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

अंतरराष्ट्रीय
बालिका दिवस
11 अक्टूबर, 2024

श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

सफल समाज का वचन, हर बेटी को जीवन

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है

वैधानिक चेतावनी

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम-1994 (PCPNDT) के तहत गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करना अथवा करवाना, इसके लिए सहयोग देना व विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। उपरोक्त कृत्य के लिए 3 से 5 वर्ष तक का कारावास एवं 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

3 लाख रु. तक का इनाम

भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना पर

आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस कार्य में लिप्त है तो टोल फ्री नं. 104/108 या वाट्सएप नं. 9799997795 पर शिकायत दर्ज कराएं, मुखबिर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी

राजस्थान संवाद

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, (आई.ई.सी.) राजस्थान, जयपुर